भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3961

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉकों का प्रचालन

3961. श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री आशीष दुबे:
श्री जनार्दन मिश्रा:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों के प्रचालन के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश में ऐसे कोयला ब्लॉकों की संख्या कितनी है जहां उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन और देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में उनके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कोयला खदानों के समयबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक स्वीकृतियों में तेजी लाने और आवश्यक अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विशेषकर धीरौली कोयला खदान में नए संचालित वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों में हरित पट्टी के विकास और वनीकरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या क्षेत्र में इन कोयला खदानों के संचालन के कारण घटते भूजल स्तर और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): जून 2020 में वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी ढांचे के शुभारंभ के बाद से, कुल 141 वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिनमें से 132 ब्लॉक आवंटित (30.06.2026 तक) किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, 23 आवंटित वाणिज्यिक ब्लॉकों ने खान खोलने की अनुमति (एमओपी) प्राप्त कर ली है, और 15 ब्लॉक वर्तमान में कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। शेष 8 ब्लॉक खान अवसंरचना विकास के माध्यम से प्रगतिशील हैं, जबकि अन्य 109 ब्लॉक अपने संबंधित कोयला खान विकास और उत्पादन करारों (सीएमडीपीए) के अनुसार अपनी निर्धारित विकास अवधि के भीतर हैं।

मध्य प्रदेश राज्य में 30 वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। इनमें से 9 ब्लॉकों ने एमओपी प्राप्त कर ली है, 4 ब्लॉकों ने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है और शेष 5 ब्लॉकों में खान अवसंरचना विकास के विभिन्न चरणों में अग्रसर हैं।

(ख): देश का समग्र घरेलू कोयला उत्पादन लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए 1 बिलियन टन (बीटी) के लक्ष्य को पार कर गया, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1039.81 मिलियन टन (मि.ट.) तक पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान, देश भर में प्रचालनरत वाणिज्यिक खानों से कुल कोयला उत्पादन 26.12 मि.ट. रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में प्रचालनरत वाणिज्यिक खानों से प्राप्त कोयला उत्पादन 0.30 मि.ट. था, जिसने कुल वाणिज्यिक उत्पादन में 1.15 प्रतिशत और देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 0.029 प्रतिशत का योगदान दिया है।

(ग): वाणिज्यिक कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कई ऐतिहासिक संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार प्रारंभ किए हैं

- **प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियां (एपीए):** मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत 44 निजी कंपनियों को एपीए के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे सफल बोलीदाताओं को पूर्व पूर्वेक्षण लाइसेंस की अनिवार्य आवश्यकता के बिना भूवैज्ञानिक अन्वेषण करने की अनुमति प्राप्त होती है।

- **सुव्यवस्थित जीआर अनुमोदन:** भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) के मंत्रालय के अनुमोदन की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, और अब एक मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा एक सहकर्मी-समीक्षा तंत्र को अनुमोदित माना जाता है।

- **कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 संशोधन:** कोयला नियंत्रक संगठन से अनिवार्य खान खोलने की अनुमति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे संबंधित कंपनियों के बोर्डों को खान खोलने की मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

- **कोकिंग कोल के लिए महत्वपूर्ण खनिज स्थिति:** कोकिंग कोल को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिससे पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने में काफी तेजी आई है।

- सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस): एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल का प्रचालन किया गया है और इसे एंड-टू-एंड ऑनलाइन क्लीयरेंस प्रोसेसिंग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के **परिवेश 2.0 पोर्टल** के साथ एकीकृत किया गया है

इसके अलावा, मंत्रालय कोयला ब्लॉकों के प्रचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने को त्वरित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। मंत्रालय के आग्रह पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खान के प्रचालन के लिए अन्वेषण और पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) के लिए आवश्यक वन अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई उपाय किए हैं

(घ): सिंगरौली जिले में केवल एक उत्पादक वाणिज्यिक कोयला खान, अर्थात धिरौली है, जिसे मैसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड को आवंटित किया गया है, जिसने मई 2026 में कोयला उत्पादन शुरू किया था। मैसर्स एमईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ईआईए/ईएमपी के अनुसार लगभग 2,500 वृक्ष प्रति हेक्टेयर के रोपण घनत्व के साथ लगभग 2.5 मीटर के अंतराल पर पौधे लगाकर बैकफिल्ड खनन किए गए क्षेत्रों और ओवरबर्डन डंप पर वनीकरण का प्रस्ताव है। स्वीकृत खान योजना में खान के संकल्पनात्मक जीवनकाल के दौरान 2,412.11 हेक्टेयर में लगभग 60.30 लाख पौधों के रोपण की परिकल्पना की गई है, जिसमें 90 प्रतिशत की अपेक्षित उत्तरजीविता दर है।

इसके अलावा, अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) स्कीम के तहत, लगभग 1,400 हेक्टेयर में 16.80 लाख पौधों के रोपण की परिकल्पना की गई है। स्कीम के कार्यान्वयन के

लिए आवंटी ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा, शिवपुरी, सागर और रायसेन जिलों में 1,398.85 हेक्टेयर भूमि की खरीद की है, जिसे राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सीएएमपीए के पास पर्यवेक्षण शुल्क सहित 108.33 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है।

(ङ): जी हां, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और भूजल स्तर के संरक्षण के लिए सिंगरौली में वाणिज्यिक कोयला खानों में पर्यावरण निगरानी और शमन प्रौद्योगिकियों को संस्थापित किया गया है:

- भूजल संरक्षण: भूजल स्तर और गुणवत्ता की लगातार निगरानी के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रीय अवलोकन कुओं पर **रियल-टाइम टेलीमेट्री सिस्टम से लैस पीजोमीटर** स्थापित किए गए हैं। वर्षा जल संचयन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, और स्थानीय समुदायों द्वारा घरेलू और कृषि पुन: उपयोग के लिए निस्पंदन संयंत्रों के माध्यम से खान के जल का निस्सरण किया जाता है, जिससे ताजा भूजल की निकासी कम हो जाती है।
- **वायु प्रदूषण नियंत्रण और धूल दमन:** वास्तविक समय में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10, पीएम2.5) और गैसीय उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए गए हैं। फॉग कैनन, धुंध और हॉल सड़कों पर फिक्स्ड स्प्रिंकलर, रोबोटिक नोजल वॉटर स्प्रेयर और भौतिक पवन-अवरोधक दीवारों सहित उच्च दक्षता वाली धूल दमन प्रणालियां चालू हैं।
- **मशीनीकृत निकासी (फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी):** ग्रामीण सड़कों से कोयले की आवाजाही को स्थानांतरित करने के लिए मशीनीकृत लोडिंग सिस्टम और कवर किए गए कन्वेयर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे वाहनों से उत्पन्न होने वाली धूल में काफी कमी आई है।
- **विस्फोट मुक्त खनन:** पारंपरिक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्नत सरफेस माइनर्स की संस्थापना को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आसपास की बस्तियों में पार्टिकुलेट उत्सर्जन और जमीनी कंपन में काफी कमी आई है।
